

स्थायी

तहसीलदार लूणी, जिला-जोधपुर(राज.)

संख्या ... 05/2017

पटवारी
सरकार जरीमें पटवारी

बनाम

अप्रार्थी

सुब ६०३

श्री ... गोमाशम फूनिटा

पुत्र श्री ... गोकलशम

जाति जाट निवासी ... ब.इ.लिखा

तहसील लूणी जिला-जोधपुर


मामला अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 के तहत पारित बेदखली आदेश
निर्णय दिनांक ... 20-3-17

-: आदेश :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की कि अप्रार्थी न ग्राम मगरासर के खसरा नम्बर ... 266 ... की सरकारी ... 0.02 बीघा पर 2073 अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी के विरुद्ध धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी का जारी नोटिस विधिवत तामील शुदा प्राप्त हुआ जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अप्रार्थी जारी नोटिस के सम्बन्ध में उपस्थित ^{नहीं} हुआ ~~अथवा अतिक्रमण स्वीकार किया~~। अप्रार्थी द्वारा अपना कब्जा पुराना होने बाबत कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया न ही न ही नियमन कराने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर नियमन की कार्यवाही चाही गई है।

अतः अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है अतिक्रमण करने के जुर्म में लगान ... 0.05 ... का 50 गुणा जुर्माना 3-00 रुपये की शक्ति से दण्डित किया जाता है एवं अतिक्रमण की गई भूमि से तत्काल बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। पटवारी हल्का सुब ६०३ को आदेश दिया जाता है कि वह अतिक्रमित भू-भाग पर कुर्कशुदा खड़ी फसल को नियमानुसार निलाम करे, व निलामी कागजात पेश करे। पटवारी हल्का अतिक्रमित भूमि का कब्जा अपनी तहविल में लेकर रिपोर्ट सात दिवस में पेश करे। बेदखली आदेश की पालना में पटवारी हल्का सुब ६०३ को लिखा जावे जुर्माने की डिमाण्ड कायमी हेतु पटवारी एवं टी.आर.ए. तहसील लूणी को लिखा जावे। पत्रावली केंशल शुमार होकर नम्बर से कम हो रेकर्ड में जमा की जावे।

निर्णय आज दिनांक ... 20-3-17 ... को सुनाया गया।


तहसीलदार लूणी
जिला-जोधपुर